

कार्यालय महानिबन्धक

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

विषय – निष्प्रयोज्य वाहनों एंव पुराने टायरों की नीलामी।

नीलामी की तिथि – 20 मई, 2023, दिन–शनिवार,

समय – सुबह– 10 बजे से 01 बजे तक एवं अपराह्न 1.30 बजे से 04 बजे तक।
(अपराह्न 01 से 1.30 तक मध्यावकाश)

स्थान – 6, हेस्टिंग रोड, अशोकनगर, (आशा हास्पिटल, राजापुर के पास) प्रयागराज।

वाहनों का रजिस्ट्रेशन नम्बर, माडल एवं प्रकार

S.N.	Reg. No.	Make/Model	S.N.	Reg. No.	Make/Model
1	UP 70 AG 0815	Fortuner'2010	16	UP 70 AG 0729	Honda City'2010
2	UP 70 AG 1067	Innova 2012	17	UP 70 AG 0730	Honda City'2010
3	UP 70 AG 1069	Innova 2012	18	UP 70 AG 0733	Honda City'2010
4	UP 70 AG 1070	Innova 2012	19	UP 70 AG 0734	Honda City'2010
5	UP 70 AG 1071	Innova 2012	20	UP 70 AG 0735	Honda City'2010
6	UP 70 AG 1072	Innova 2012	21	UP 70 AG 0736	Honda City'2010
7	UP 70 AG 1073	Innova 2012	22	UP 70 AG 0737	Honda City'2010
8	UP 70 AG 1074	Innova 2012	23	UP 70 AG 0738	Honda City'2010
9	UP 70 AG 1075	Innova 2012	24	UP 70 AG 0739	Honda City'2010
10	UP 70 AG 1076	Innova 2012	25	UP 70 AG 0742	Honda City'2010
11	UP 70 AG 1077	Innova 2012	26	UP 70 AG 1002	Honda City'2011
12	UP 70 AG 1079	Innova 2012	27	UP 70 AG 1003	Honda City'2011
13	UP 70 AG 1118	Innova 2012	28	UP 70 AG 1004	Honda City'2011
14	UP 70 AG 0604	Honda City'2009	29	UP 70 AG 1005	Honda City'2011
15	UP 70 AG 0597	Honda City'2009	30	UP 70 AG 1006	Honda City'2011

नीलामी के नियम एवं शर्तें

- वाहन 'जहाँ है जैसा है' कि स्थिति में नीलाम तथा निर्गत किया जायेगा।
- बोली बोलने वालों का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व उक्त वाहन का पूर्ण अवलोकन कर लें। नीलामी होने वाले वाहनों का नीलामी से एक दिन पूर्व अर्थात् 19.05.2023 को अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक 6, हेस्टिंग रोड, अशोक नगर, प्रयागराज, (आशा हास्पिटल, राजापुर के पास), के परिसर में अवलोकन किया जा सकता है।
- वित्तविभाग, भारत सरकार के नोटिफिकेशन न० 36 / 2017–सेन्ट्रल टैक्स(रिट) दिनांकित 13. 10.2017, के अधीन जारी सर्कुलर के अनुसार बोलीदाता का जी०एस०टी० में पंजीकरण, पैन कार्ड एवं आधारकार्ड धारक होना चाहिए। इस सम्बन्ध में जी०एस०टी० में अस्थायी पंजीयन (कैजुअल / टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन) भी मान्य होगा।
- नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि यह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे।

(2)

5. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व रूपया 20,000/- (रु० बीस हजार मात्र) नगद जमा करना होगा तथा जी०एस०टी० में पंजीकृत होने का प्रमाण भी संलग्न करना होगा। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उसकी उक्त धनराशि तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
6. नीलामी की कार्यवाही में बोली बोलने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा अथवा अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकेगा जो उक्त धनराशि जमा करेगा।
7. जिसकी अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की 75 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि को नीलामी से एक सप्ताह में जमा करानी होगी। यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित धनराशि उपरोक्त के अनुरूप जमा नहीं करायी जाती तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा।
8. निष्प्रयोज्य नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गई बोली को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात ही अन्तिम रूप से स्वीकृत मान्य होगा।
9. नीलाम किये गये वाहन को उच्चतम बोली बोलने वाले को तब तक सुपुर्दगी नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने बोली की पूर्ण धनराशि का पूरा भुगतान, आर०टी०ओ० आफिस द्वारा निर्धारित वाहन का टैक्स, एन्स्योरेंस एवं जी० एस० टी० जमा करके वाहन अपने नाम पर हस्तांतरित न करा लिया हो।
10. यदि नीलामी की शर्तों के विषय में कोई विवाद उठता है तो महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
11. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद इलाहाबाद में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जायेगी।

Sd

महानिबन्धक

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद